

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक **32/3** महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर
/ एफ-1-27 / 31 / एस-2 / 2024, नवा रायपुर, दिनांक **23/8** / 2024
प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :- बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड-कुसमी की श्रीकोट व्यपवर्तन योजना का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।
संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र.-417 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2023 / 10732, दिनांक 07.12.2023.

- राज्य शासन एतद् द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड-कुसमी की श्रीकोट व्यपवर्तन योजना का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु राशि रु. 215.09 लाख (रु. दो करोड़ पन्द्रह लाख नौ हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।
2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 126 हेक्टेयर में 72 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
 3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
 4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
 5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-75, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, लेखा शीर्ष-4702, लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय {101}-सतही जल, 0312-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) (5189)-लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)-#97, निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
 6. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 02.08.2024 में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त की गई है।
 7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
 8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
 9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(प्रेमसिंह घरेन्द्र)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 3214 / एफ-1-27 / 31 / एस-2 / 2024,

नवा रायपुर, दिनांक 23/8/2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 8. कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)।
 14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग